

06/01/2020

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वर्ष 2013 से प्रार्थना पत्र पर बहस में नियत है परन्तु वकील वादी द्वारा बार-बार बहस प्रो.प. हेतु अवसर लिये जाते रहे।

वकील वादी को कई मर्तबा आवाजें दिलाई गईं परन्तु वकील वादी एवं वादी स्वयं कोई भी उपस्थित नहीं आये।

अनुसूचित जाति वाद वादी अद्वय पंखी, अद्वय हाजरी में खारिज किया जा रहा। पत्रावली फौजदारी में होकर बहस से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली

